

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या — 95 / 2019 — निगरानी

श्री धर्मराज पिता कन्हैया लाल बानाम	1. भैरुलाल पिता भंगरलाल जाट निवासी
बलाई निवासी रायसिंहपुरा	रायसिंहपुरा तहसील बनेजा।
तहसील बनेजा जिला भीलवाडा	2. ग्राम पंचायत बरण जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बरण तह. बनेजा।
	3. उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बनेजा।

—निगराकार

— गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश गैर निगराकार सं. 02 पत्रावली सं. 12 व पट्टा संख्या 14
दिनांकित 05.03.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित —

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता — निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 के सरपंच एवं सचिव ने पंचायतीराज अधिनियम की अवहेलना कर विधि विरुद्ध जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त पट्टा आबादी भूमि का रियायती दर पर / निःशुल्क आवंटन प्रारूप 23 ग नियम 158 के तहत जारी किया है और उक्त पट्टा दिनांक 05.03.2018 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किया है और उक्त पट्टे का पंजीयन गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय में करा दिया है। प्रथम तो उक्त पट्टा रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन किया है और उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी गैर निगराकार संख्या 2 को न तो है न था क्योंकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-79 से सटी हुई भूमि है और उक्त भूमि एक बड़े खसरे के रूप में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 1768 / 933 व 1766 / 933 व 1761 / 933 करीबन 04 बीघा भूमि स्थित है और उक्त भूमि में कई गरीब परिवार के पुरतैनी मकान स्थित है जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार है और गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच सचिव द्वारा दिसम्बर 2017 से उन व्यक्तियों को जिनको पुरतैनी आवास स्थित है उनको राजनीतिक दुर्भावना की वजह से जो लोग वहां रह रहे है उनको प्रशासनिक आढ में हटाना शुरू कर दिया और उनको हटाने के लिए विधि विरुद्ध विज्ञप्तिया राज्य संस्करण समाचार पत्रों में जारी की गई। उनका भुगतान राजकोष से किया गया। जिसकी कोई स्वीकृति नही ली गई और समाचार पत्रों की विज्ञप्तियां में राजकोष का काफ़ी भुगतान किया गया है। गैर निगराकार संख्या 2 ने रियायती दर/निःशुल्क आवंटन प्रक्रिया का सहारा लेते हुए राज्य सरकार की बेसकीमती भूमि को पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना कर भूमि विक्रय अधिनियम की



श्री जिला कलक्टर
भीलवाडा

भी अवलेहना कर उक्त तथाकथित पट्टा अपने हितबद्ध व्यक्ति अर्थात् गैर निगराकार संख्या 1 के नाम से जारी कर दिया जिसका कि कोई विधिक अधिकार पंचायती राज अधिनियम भूमि विक्रय विलेख अधिनियम के प्रावधानों में गैर निगराकार संख्या 2 को नहीं था फिर भी उक्त तथाकथित शून्य एवं निष्प्रभावी जो पट्टा जारी किया वो काबिले निरस्तनीय है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि राजकोष की बेसकीमती भूमि है और उक्त भूमि को किस प्रकार विक्रय किया जाये उसके लिए गार्ड्ड लार्डन की आवश्यकता है और गैर निगराकार संख्या 2 ने किसी भी प्रकार की गार्ड्ड लार्डन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। जिस श्रेणी में उक्त पट्टा जारी किया गया है उस श्रेणी का भी गैर निगराकार संख्या 1 पात्र नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 ना तो भूमिहीन है उसका स्वयं का मकान है और उसके निकटतम व्यक्ति वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 1 के कार्यालय में जनप्रतिनिधि है, और पंचायती राज अधिनियमों के तहत उक्त पट्टे का लाभ गैर निगराकार संख्या 1 प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 के नाम से उक्त तथाकथित जो पट्टा गैर निगराकार संख्या 2 ने जारी किया है वह पट्टा शर्तानुसार किया है और उनमें एक से लगायत दस तक की शर्तें है उन शर्तों की एक भी शर्त की पालना न तो हुई है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है और ना उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच/सचिव को था। जिस प्रकार दिनांक 05.03.18 को पट्टा जारी होना बताया है उसकी मिश्रल कब कायम की गई और मिश्रल कब फ़ेसल की गई और मिश्रल में क्या कार्यवाही की गई जबकि उक्त भूमि के बारे में दिनांक 12.12.2017 से दिनांक 20.02.2018 तक विवादित विज्ञप्तिया जारी होती आ रही है। दिनांक 05.03.2018 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी और दिनांक 05.03.2018 को ही उक्त तथाकथित पट्टा जारी करना गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की मिलीभगत को दर्शाता है एक तरफ गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.03.18 को आपत्ति उक्त पट्टे के बारे में मांगी गई थी और दिनांक 05.03.18 को ही पट्टा जारी कर किया आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया और उन आपत्तियों का निस्तारण किस दिनांक को हुआ और आपत्तियां जायज थी या नहीं थी आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व पट्टा जारी करना उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया है वह व्यक्ति इस पट्टे का पात्र नहीं है क्योंकि इसके नाम पर पूर्व में आवासीय मकान है और रियायती दर पर भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टे में दर्शाई गई भूमि सरकार की बेसकीमती भूमि है और गैर निगराकार संख्या 1 उक्त भूमि को रियायती दर पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई उस भूमि को विक्रय के लिए राज्य सरकार की गार्ड्ड लार्डन की आवश्यकता थी और गैर निगराकार संख्या 2 के सरपंच/सचिव ने राज्य सरकार की ना तो अनुमति ली है ना ही उक्त भूमि के विक्रय के संबंध में पंचायती राज अधिनियम की पालना की है। गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे की प्रमाणित प्रति भी निगराकार को उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त पट्टे की प्रति गैर निगराकार संख्या 1 ने निगराकार को दी है और गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति नहीं देने से यह निगरानी पट्टे की फोटो प्रति से प्रस्तुत की जा रही है। निगराकार की निगरानी स्वीकार की



अति. जिला कलेक्टर
मेरठ जिला

जाकर उक्त तथाकथित पट्टा निरस्त किया जाकर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय में जो पंजीयन हुआ है उस पंजीयन को भी निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 02.08.2018 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 01 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं। विपक्षी सं. 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा से पत्रांक/2258 दिनांक 30.09.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। आदेश क्रमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 20.11.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया।

प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 के सरपंच एवं सचिव ने पंचायतीराज अधिनियम की अवहेलना कर विधि विरुद्ध जो पट्टा जारी किया है वह पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त पट्टा आबादी भूमि का रियासती दर पर/निःशुल्क आवंटन प्रारूप 23 ग नियम 158 के तहत जारी किया है और उक्त पट्टा दिनांक 05.03.2018 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किया है और उक्त पट्टे का पंजीयन गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय से करा दिया है। प्रथम तो उक्त पट्टा रियायती दर पर निःशुल्क आवंटन किया है और उक्त पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी गैर निगराकार संख्या 2 को न तो है न था क्योंकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-79 से सटी हुई भूमि है और उक्त भूमि एक बड़े खसरे के रूप में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई भूमि राजकोष की बेसकीमती भूमि है और उक्त भूमि को किस प्रकार विक्रय किया जाये उसके लिए गार्ड लार्डन की आवश्यकता है और गैर निगराकार संख्या 2 ने किसी भी प्रकार की गार्ड लार्डन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है। दिनांक 05.03.2018 को गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई थी और दिनांक 05.03.2018 को ही उक्त तथाकथित पट्टा जारी करना गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की मिलीभगत को दर्शाता है एक तरफ गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.03.18 को आपत्ति उक्त पट्टे के बारे में मांगी गई थी और दिनांक 05.03.18 को ही पट्टा जारी कर किया आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया और उन आपत्तियों का निस्तारण किस दिनांक को हुआ और आपत्तियां जायज थी या नहीं थी आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व पट्टा जारी करना उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया है वह व्यक्ति इस पट्टे का पात्र नहीं है क्योंकि इसके नाम पर पूर्व में आवासीय मकान है और रियायती दर पर भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त तथाकथित पट्टा निरस्त किया जाकर गैर निगराकार संख्या 3 के कार्यालय में जो पंजीयन हुआ है उस पंजीयन को भी निरस्त किया जावे।



अति. जिला कलक्टर
भानुवर

कर सकेगी।

1.(क) पंचायत, सरहदी पंचायत समिति क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में (300 वर्ग गज) तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी।
2. ऐसे आवंटियों से निम्न प्रकार दर से वसूल की जावेगी -

(क) 1000 से कम की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 2/-रु. प्रतिवर्ग मीटर
(ख) 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5/-रु. प्रतिवर्ग मीटर
(ग) 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 10/-रु. प्रतिवर्ग मीटर
परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को, व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23ग में जारी किया जा सकेगा)

2(क) पंचायत, घुमककड भेड पालकों को 300 वर्ग गज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

3. इस प्रकार आवंटित की गयी आबादी भूमि अन्तर्णीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बड़े अक्षरों में 'विक्रय के लिए नहीं' की मुहर लगायी जायेगी। यदि कोई भी आवंटिती ऐसे गृह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रीत करे तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पडी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अंतरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जायेगा।

3(क) इस नियम के अधीन आवंटित तीस प्रतिशत भूमि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आवंटित की जावेगी।

4. तथापि पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने के निश्चय कर सकेगी।

5. ऐसे आवंटिती को भविष्य में किसी भी पश्चात्वर्ती आवंटन से विसर्जित किया जायेगा।

6. उप - नियम (3) और (4) तथा (5) में अन्तर्विष्ट उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायत क्षेत्र में निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले दुकान-स्थलों के लिए भी लागू होंगे।

7. बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को अन्य स्थान/स्थानों पर गृह -स्थलों के आवंटन के लिए संबंधित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से आवेदन इस परिचयन के साथ आमंत्रित करेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थलों के आवंटन की स्थिति में, बाढ़ में बह गये गृह स्थल सामग्री सहित सभी विल्वंगमों से मुक्त रूप में, संबंधित पंचायत में निहित हो जायेंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 अनुसार "किसी पंचायत के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित (Aggrieved) कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति में कर सकेगा।"

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अनुसार :- राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति (Interested) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अपील एक सीमित प्रावधान है, जबकि रिचीजन का क्षेत्र व्यापक होता है। चूंकि अपील Aggrieved Party तक सीमित है। राज्य हित एवं अनियमितता की जांच के मध्यनजर Interested & Aggrieved जैसे कानूनी शब्दों की तकनीकी व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विनिश्चय किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। Interested पक्षकार की भावना न्यायालय के स्वप्रेरणा के क्षेत्राधिकार में स्वतः शामिल हैं।

गौर निगराकार सं. 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राजी नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा दिनांक 05.03.2018 को जारी किया गया। पट्टा जारी करने से



अति. सिला कलक्टर
गीलवाड़ा

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बरण ने दिनांक 20.02.2018 को आपत्ति आमंत्रण सूचना पत्र दैनिक भारकर समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। इस आपत्ति आमंत्रण सूचना में नियम 148 की पालना में आपत्ति पत्र जारी करने की अवधि दिनांक 05.03.2018 तक रहेगी, जबकि नियम 148 में नोटिस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करने का प्रावधान है। इस प्रकार कार्यालय ग्राम पंचायत बरण द्वारा आपत्ति आमंत्रण सूचना की अवधि 14 दिन ही रखी गयी जो नियम 148 की स्पष्ट उल्लंघना है।

गैर निगराकार सं. 02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत कार्यवाही करने से पूर्व एक आम सूचना सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 09.02.2018 को इस आशय की प्रकाशित करायी की ग्राम पंचायत बरण में ग्राम रायसिंहपुरा एन एच 79 के पास खुली निलामी रखी गयी थी। पूर्व सूचना दिनांक 14.02.2018 को अटल सेवा केंद्र पर रखी गयी थी। जो सूचना अपरिहार्य कारण से निरस्त की जाती है, जबकि निरस्ती का Speaking, तोस एवं विधिक कारण अंकित नहीं किया गया। ग्राम रायसिंहपुरा की आबादी भूमि जो एन एच 79 के पास खुली निलामी से विक्रय करने हेतु नियम 141 के तहत सचिव/ सरपंच ग्राम पंचायत बरण द्वारा कार्यवाही नहीं करके नियम 158 के तहत कार्यवाही किये जाने से राजस्व हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा से ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 को खुली निविदा सूचना जारी करने के पश्चात् दिनांक 09.02.2018 से खुली निविदा सूचना को निरस्त करने के संबंध में जवाब तलब किया गया। जिसके संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा ने की रिपोर्ट दिनांक 30.09.2019 के साथ संलग्न ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरण की रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम पंचायत बरण के कोरम प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 05.01.2018 से उक्त भूखण्डों की खुली निलामी का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत बरण द्वारा दिनांक 05.02.2018 से 09.02.2018 के मध्य दिनांक 05.02.2018 को कोरम आयोजित हुयी परन्तु उक्त बैटक में खुली निविदा सूचना को निरस्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव लेना नहीं पाया गया, दैनिक भारकर समाचार पत्र में दिनांक 09.02.2018 को सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बरण ने दिनांक 14.02.2018 को अटल सेवा केंद्र पर होने वाली बैटक को अपरिहार्य कारण से निरस्त करने का नोटिस प्रकाशित करवा दिया गया। इस प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा के पत्र दिनांक 30.09.2019 के साथ संलग्न ग्राम विकास अधिकारी बरण की रिपोर्ट एवं दैनिक समचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना दिनांक 09.02.2018 में विरोधभासी तथ्य प्रकट किये जाने से एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 की पालना गैर निगराकार सं. 02 द्वारा नहीं किये जाने से राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली में गैर निगराकार सं. 02 द्वारा नियम 148 की उल्लंघना किये जाने से निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव -

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली संख्या 12 में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.03.2018 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 की गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पालना नहीं किये जाने से एवं नियम 148 की गैर निगराकार सं. 02 द्वारा स्पष्ट उल्लंघना किये जाने से निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बरण की पत्रावली संख्या 12 में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.03.2018 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बरण तहसील बनेडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
आति. मीलवाडा
बीलवाडा

